निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 440) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०–25/2020–1018/वि०स०।—'' बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–9/2020]

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 का संशोधन करने के लिये विधेयक।

भारत गणराज्य के इक्हतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः–

1. **संक्षिप्त नाम एंव विस्तार ।–**
   (1) यह विधेयक बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक–2020 कहा जायेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने की तिथि अर्थात 02.10.2016 से प्रभावी समझा जाएगा।

2 **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–73 में संशोधन ।**– उक्त अधिनियम की धारा–73 के खण्ड (ङ) में शब्द ''अवर निरीक्षक'' को ''सहायक अवर निरीक्षक'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–78 में संशोधन ।**– उक्त अधिनियम की धारा–78 की उपधारा (2) में शब्द ''अवर निरीक्षक'' को ''सहायक अवर निरीक्षक'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **विधि मान्यकरण ।**– किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियमावली, निर्णय, न्याय निर्णय, डिक्री या न्यायालय के आदेश में कुछ भी प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस सहायक अवर निरीक्षक के द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे।

5. **निरसन एवं व्यावृत्ति।–**
   (i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–04, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
   (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के लागू होने के पश्चात् मद्यनिषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु अवैध शराब को रोकथाम करने के लिए लगातार छापेमारी तथा गिरफ्तारी की जा रही है। बिहार राज्य में पुलिस थाना और पुलिस चौकी की कुल संख्या 1259 है। बिहार राज्य में 17535 स्वीकृत अवर पुलिस निरीक्षक की संख्या के विरूद्ध 8669 पुलिस अवर निरीक्षक कार्यरत है, जिनमें से बिहार पुलिस के केवल 4661 अनुसंधान ईकाई में तथा शेष 4008 पुलिस अवर निरीक्षक विधि व्यवस्था में कार्यरत है। अतएव प्रशासनिक आकस्मिकता के कारण पुलिस सहायक अवर निरीक्षक बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के धारा–73 एवं 78 के अन्तर्गत तलाशी, जप्ती और अपराधों के अनुसंधान का कार्य कर रहे है। राज्य में मद्यनिषेध से संबंधित काण्डों की अधिकता एवं पुलिस अवर निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या में उपलब्धता के कारण तथा पुलिस सहायक अवर निरीक्षकों को उक्त कार्यो के लिए अधिकृत करने हेतु बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के धारा–73 एवं 78 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन अपेक्षित है। एतदर्थ बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में संशोधन हेतु इस विधेयक में कतिपय प्रावधान किये गये हैं जिनको अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एवं अभीष्ट है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार–साधक सदस्य ।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 440-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in